**संख्या- 49/841/24-1-16-812(उदय)/2016**

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

**ऊर्जा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त धनराशि को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को दिये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-260/मप्र(वित्त)/विप्र-2/268/आय-व्ययक/2015-16, दिनांक 29.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निर्गत रूपये 10063,06,00,,000/- (रूपये दस हजार तिरसठ करोड छः लाख मात्र) की सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों पर पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, आर0ई0सी0 तथा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलप्मेन्ट कारपोरेशन के दिनांक 30.09.2015 को बकाया ऋण के आंशिक प्रतिदान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2016 को उक्त संस्थाओं को अंतरित की जा चुकी है।

2- उपर्युक्त संव्यवहरण को लेखांकित किये जाने तथा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रूपये 13302,00,00,000/- (रूपये तेरह हजार तीन सौ दो करोड़ मात्र) में से रूपये 10063,06,00,,000/- (रूपये दस हजार तिरसठ करोड छः लाख मात्र) की धनराशि पुस्तक समायोजन द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-15-उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि का यू0पी0पी0सी0एल0 को संक्रमण- आयोजनेत्तर-20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)"

http://shasanadesh.up.nic.in

के नामे डाला जायेगा और पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष- 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-109- अन्य संस्थाओं से कर्ज-09- ऊर्जा विभाग-0904- डिस्कॉम्स के आपरेशनल एवं फाइनेशियल टर्न अराउण्ड की योजना उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बन्ध पत्र से प्राप्ति के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 86 /दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**सुरेश कुमार शर्मा**
विशेष सचिव।

**<u>संख्या- 49 /841(1)/24-1-16, तददिनांक</u>**।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**सुरेश कुमार शर्मा**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in